न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 03/2020

राज्य – प्रति – मु0 सलाम खॉ

दिनांक : 07.12.2021 **पी.डब्ल्यू –02**

मैं, **मंगल यादव पुत्र श्री राधे श्याम यादव**, उम्र लगभग 32 वर्ष, हाल तैनाती जी. आर.पी. चौकी, जफराबाद थाना जौनपुर अनुभाग प्रयागराज, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 30.10.2019 को मैं थाना जमानियां में आरक्षी के पद पर तैनात था। उस दिन मैं, उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कां0 दिव्येंदु के साथ शान्ति व्यवस्था क्षेत्र में मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला में गांजा लेकर दरौली से रामपुर फुफुआव के तरफ जा रहा है। मुखबिर के सूचना पर विश्वास कर मैं और उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कां0 दिव्येंदु तथा मुखबिर के साथ दरौली से रामपुर फुफुआव जाने वाली रोड के नहर के पुलिया के पास गुमटी के पीछे छीप कर उक्त व्यक्ति का इन्तेजार करने लगे कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला लेकर आता दिखाई दिया। जिसे मुखबिर ने इशारा कर के बताया व पीछे मुड़ कर चला गया कि उक्त व्यक्ति के पास आने पर मैं और उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कां0 दिव्येंदु अचानक से सामने आकर नहर पुलिया दरौली के पास उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। व उसका नाम पता पुछा गया। उसने अपना नाम मो0 सलाम खॉ पुत्र स्व0 इलियास निवासी रामपुर फुफुआव थाना जमानिया जिला गाजीपुर उम्र 45 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति से उसके दाहिने हाथ में लिये लाल झोले के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें गांजा है जिसे मैं बेचने के लिए ले जा रहा था। उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी द्वारा पकड़े गये व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. एक्ट 50 के अन्तर्गत उसके अधिकारों को बताया गया तथा तलाशी हेतु उसे किसी मजिस्ट्रेट या राज्य पत्रित अधिकारी के यहां होगा। तो उपरोक्त ने कहां कि साहब जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो हमें आप लोगों पर पूरा विश्वास है आप ही मेरा तलाशी ले लिजिए।

हम पुलिस वाले आपस में एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं होने का विश्वास दिलाकर पकड़े गये उपरोक्त व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर उसपर उसका हस्ताक्षर बनवाकर उसके दाहिने हाथ में लिए हुए झोले में अखबारी कागज में रखा हुआ गांजा मिला जिसको मैंने दरौली चट्टी से सब्जी के दुकान से इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर आया तथा वजन किया गया तो 01 किलो व 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसमें से 100 ग्राम बतौर नमूना निकाल कर शेष माल को उसी झोला में रखकर सर्व सील मोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया व उपरोक्त व्यक्ति से गांजा रखने का अधिकार मांगा गया तो वह दिखाने में विफल रहा। तब उसको जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध बताकर समय 18:05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। दौरान गिरफ्तारी बहुत से लोग आ गये लेकिन गवाही के नाम पर हट बढ़ गये। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ को देख कर गवाह ने अपने हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 पहले से पड़ चुका है। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया है।

प्रतिपरीक्षा x x x x x x x x

घटना के दिन थाना से हम तीन लोग रवाना हुए थे। थाना से लगभग 04 बजे शाम को रवाना हुए थे। मुल्जिम के पकड़े जाने का सही समय याद नहीं है। फर्द बरामदगी में भी मुल्जिम के पकड़े जाने का समय अंकित नही है। घटना स्थल से थाना उत्तर दिशा की ओर है। तराजू जिससे लिया था उसका नाम पता मालूम नहीं है। बरामद गांजा झोले में रखा था। एक पैकेट अखबारी कागज में लपेट कर रखा गया था। माल का वजन झोला सहित किया गया था। मुल्जिम को तलाशी के संबंध में वहीं बिकल्प दिया गया था जो फर्द बरामदगी में अंकित है। यही बातें विवेचक को भी बतायी गयी थी।

गांजे से दो नमूना न निकालने का कारण मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया था। हम लोग मोटर साइकिल से थे। मुखबिरी स्थल से घटना स्थल पर पहुंचने 02—04 मिनट लगा होगा।

मौके पर गिरफतारी का प्रपत्र तैयार हुआ था। गिरफतारी प्रपत्र शामिल मिसिल कागज सं0 12अ के स्तम्भ 3 में गिरफतारी का समय अंकित नहीं है। सूचना प्रपत्र में भी गिरफतारी का समय अंकित नहीं है। सूचना प्रपत्र पर किसी अधिकारी या कर्मचारी हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सूचना प्राप्त करने के बाबत मुल्जिम के पत्नी का भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

माल और नमूना माल पर हमराहियान ने हस्ताक्षर बनाया था या नहीं मुझे याद नहीं है। आज माल मुकदमा मेरे सामने नहीं है।

यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया वैसी कोई तलाशी, बरामदगी व गिरफतारी नही हुई।

यह भी कहना गलत है कि खेत चराने के विवाद में विपक्षी पार्टी के इशारे पर इसे गलत मुकदमें चालान कर दिया गया है।

यह कहना सही है कि परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं है।

यह कहना गलत है कि मुल्जिम को घर से पकड़ कर फर्जी मुकदमें में चालान कर दिया गया।

सुनकर तस्दीक किया   बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।